संख्या-12/2023/669/63-व0उ0-2023-57(एच)/2019

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 19 अप्रैल, 2023

विषयः- उ0प्र0 हथकरघा पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंन्टिग पालिसी-2017 के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजीगत उपादान सुविधा के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में संशोधन।

महादेय,

उ0प्र0 हथकरघा पावरलूम सिल्क,टेक्सटाइल एवं गारमेंन्टिग पालिसी-2017 के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजीगत उपादान के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-293/63व0उ0-2020-57(एच)/2019 दिनांक 17-03-2020 एवं शासनादेश संख्या-407/63व0उ0-2020-57(एच)/2019 दिनांक 03-06-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त दोनो शासनादेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

शासनादेश संख्या-293/63व0उ0-2020-57(एच)/2019 दिनांक 17-03-2020 के निम्नलिखित अंश को विलोपित किया जाता है :-

3(ii) प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 13-07-2014 से पूर्व का न हो। यदि बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेकर प्लांट एवं मशीनरी में निवेश किया गया है तो ऋण की स्वीकृति एवं वितरण की तिथि 13-07-2014 अथवा उसके पश्चात की हो।

शासनादेश संख्या-407/63व0उ0-2020-57(एच)/2019 दिनांक 03-06-2020 के निम्नलिखित अंश को विलोपित किया जाता है :-

3(ii) प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 13-07-2014 से पूर्व का न हो। यदि बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेकर प्लांट एवं मशीनरी में निवेश किया गया है तो ऋण की स्वीकृति एवं वितरण की तिथि 13-07-2014 अथवा उसके पश्चात की हो।

2- शासनादेश संख्या-293/63व0उ0-2020-57(एच)/2019 दिनांक 17-03-2020 तथा शासनादेश संख्या-407/63व0उ0-2020-57(एच)/2019 दिनांक 03-06-2020 की शेष नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

प्रांजल यादव
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2023/669(1)/63-व0उ0-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीडा, कानपुर।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
9- आयुक्त स्टाम्प/महानिदेशक निबंधक, उत्तर प्रदेश।
10- अधिशासी निदेशक, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ।
11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
12- समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग।
13- गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।